

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 04/2015

बउनवान

घनकंवर बाई पुत्री श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी थामली, तहसील व जिला बारां (राज०)

(प्रार्थीया)

बनाम

1. बलराम पुत्र श्री रामप्रताप
2. देवभरत पुत्र श्री रामप्रताप
3. बादामबाई पुत्री श्री रामप्रताप
4. रोशनबाई पुत्री श्री रामप्रताप
5. सत्यनारायण पुत्र श्री पृथ्वीलाल
6. हरनारायण पुत्र श्री पृथ्वीलाल
7. दोपती बाई पुत्री श्री पृथ्वीलाल
8. संतोषबाई पुत्री श्री पृथ्वीलाल
9. धन्नीबाई बेवा श्री पृथ्वीलाल
10. रामहेत पुत्र श्री धनपाल
11. चन्द्रसेन पुत्र श्री धनपाल
12. सुमित्रा पुत्री श्री धनपाल जाति मीणा, निवासीगण टारडा तह० अन्ता जिला बारां (राज.)
13. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज०)



(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) कृषि भू आवंटन नियम, 1970

उपस्थिति :- 1. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा, अभिभाषक

(प्रार्थीया)

2. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 15.03.2024

प्रार्थीया की ओर से जयें अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम टारडा मे वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नंबर 247 की रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। जो दिनांक 02.12.1976 को रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल की माता मन्नीबाई पत्नि श्री बिशनलाल जाति मीणा निवासी टारडा तह० अन्ता को आवंटन हुई थी। आवंटी मन्नीबाई, रामप्रताप, बिशनलाल व पृथ्वीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 ता 12 है। उक्त आराजियात के सेटलमेन्ट के बाद नये खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है। जो कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 12 के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजियात तालाब की पाल है तथा उसके पास कुछ जमीन तालाब की पाल के नीचे स्थित है। जिसके कुछ रकबे पर प्रार्थीया काबिज काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के खातेदारी खसरा नंबर 854 रकबा 3.03 है। वाके ग्राम टारडा तहसील अन्ता जिला बारां से लगवा होने से स्ट्रिप ऑफ लेण्ड की श्रेणी में आती है। जो भू पट्टी के रूप में प्रार्थीया के खातेदारी की आराजियात से लगी है, जिस पर प्रार्थीया का काफी वर्षों

P. S. Singh
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी रामेश्वर पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी टारडा तहसील अन्ता से सन् 1999 में क्रय की थी। तब से प्रार्थीया उक्त आराजियात पर काबिज काशत करती चली आ रही है, तथा प्रार्थीया के खरीद करने से पूर्व उक्त आराजी पर रामेश्वर का कब्जा काशत भू पट्टी के रूप में आवंटन से पूर्व से चला आ रहा था तथा उसे कभी उक्त आराजियात से बेदखल नहीं किया गया है, इस कारण आवंटन स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजियात के पास तालाब की पाल बनी हुयी है तथा उसके बाद तालाब है, इस प्रकार प्रार्थीया की खातेदारी की आराजियात के अलावा वहां पर कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है। तालाब की पाल भूमि का आवंटन सर्वोच्च न्यायालय व भारत सरकार के द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित होने से उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश सभी राज्य सरकार को दिया हुआ है कि नदी, नाले व तालाब की भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त आराजियात पर अप्रार्थीगण का आज तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन दिनांक 02.12.1976 निरस्त फरमाकर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड आराजी खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है वाके ग्राम टारडा से हटाया जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण क्रम 1 व 12 ने जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अभिभाषक क्रम 1 ता 12 अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड तलब किये जाने पर रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम टारडा खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. अप्रार्थी क्रम 1 ता 12 के पिता/पति रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल की माता मन्नीबाई पत्नि श्री बिशनलाल जाति मीणा निवासी टारडा तह0 अन्ता को आवंटन दिनांक 02.12.1976 को आवंटित हुई थी। उक्त आराजियात तालाब की पाल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नदी, नाले व तालाब की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी क्रम 1 ता 12 के पिता/पति रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल की माता मन्नीबाई को दिनांक 02.12.1976 को आवंटित आराजी जिसके हाल खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. हैं, को निरस्त फरमावे।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि ग्राम टारडा खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल की माता मन्नीबाई पत्नि श्री बिशनलाल जाति मीणा निवासी टारडा तह0 अन्ता को दिनांक 02.12.1976 को नियमानुसार आवंटन किया जाकर दखल दिया गया है। आवंटन पश्चात् से ही उक्त आराजी पर आवंटी तथा अप्रार्थीगण के पिता/पति रामप्रताप, धनपाल व पृथ्वीलाल काबिज रहे हैं। तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण काबिज काशत हैं। अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है. माल टारडा तहसील अन्ता पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं तथा खातेदार के विरुद्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।


जिला कलक्टर
बारां (राब0)




प्रकरण के संदर्भ में तहसीलदार अन्ता से रिपोर्ट प्राप्त हुई की खसरा नंबर 863 रकबा 0.22, खसरा नंबर 1320/863 रकबा 0.22 है। 1321/863 रकबा 0.22 है। भूमि पर देवभरत पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी टारडा द्वारा गेहूं की फसल बाई हुई है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा तहसीलदार अन्ता से रिपोर्ट एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीया एवं उनके अभिभाषक द्वारा विवादित आराजी तालाब की भूमि होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। तथा मुताबिक राजस्व रेकार्ड आराजी ग्राम टारडा साबिक खसरा नंबर 247 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 863 रकबा 0.66 है। का आवंटन मन्नीबाई पत्नि श्री बिशनलाल जाति मीणा निवासी टारडा तह0 अन्ता को दिनांक 02.12.1976 को आवंटन किया गया। जिसका गैरखातेदारी का नामांतरण दिनांक 24.09.1977 को स्वीकृत हुआ। मुताबिक जमांबदी संवत् 2070-73 ग्राम टारडा उक्त भूमि बलराम, देवभरत पुत्रान, बदाम रोशन पुत्रियां रामप्रताप, पुष्पाबाई बेवा रामप्रताप हिस्सा 1/4, पृथ्वीलाल, धनपाल पुत्रान, जडावबाई पुत्री बिशनलाल हिस्सा 3/4 जातिगण मीणा निवासीगण टारडा के खाते दर्ज रही तथा नामांतरण संख्या 825 दिनांक 05.06.2014 से मृतक धनपाल के स्थान पर रामहेत, चन्द्रसेन पुत्रान सुमित्रा पुत्री धनपाल व मृतक पृथ्वीलाल के स्थान पर सत्यनारायण, हरनारायण पुत्रान द्रोपती, सन्तोष पुत्रियां धन्नीबाई बेवा पृथ्वीलाल का नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार उक्त आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। ऐसी स्थिति में खातेदारान के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,
बारा (राज.)